न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – /2020 (Bank Case)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि0 रजिस्टर्ड पता 102, कंचन अपार्टमेन्ट, अपोजिट एल.बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी यादवेन्द्र सिंह

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. पवन राठौड पुत्र घनश्याम
   पता– 1/2 वी पी ओ कामोलर तहसील सांगोद जिला कोटा
2. निर्मला राठौड पुत्री राधाकिशन राठौड
   पता– लाल बाई का चौक, शिवाजी कोलोनी, बांरा जिला बांरा
3. चौथमल सुमन पुत्र रामप्रसाद सुमन
   पता– मकान नं0 75, मस्जिद के पास कामोलर वीपीओ कामोलर, तहसील सांगोद, जिला कोटा

– अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 21.01.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि0 रजिस्टर्ड पता 102, कंचन अपार्टमेन्ट, अपोजिट एल.बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर से अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध सं0 67229 दिनांक 30.09.2017 को रूपये 2,50,000/–(अक्षरेः रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति पट्टा नं0 6271, खसरा नम्बर 1094, ग्राम कामोलर, ग्राम पंचायत कामोलर, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा राजस्थान स्थित (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 834 वर्ग फुट) जो कि श्री पवन राठौड के नाम पर हैं, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत कमोलर द्वारा जारी किया गया है , जिसका पंजीयन उप पंजीयक सांगोद द्वारा 4.1.2017 को किया गया है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.06.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 3,41,342/– (अक्षरे रूपये तीन लाख इकतालीस हजार तीन सौ बियालीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 15.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र **''दैनिक नवज्योति''** एवं अंग्रेजी समाचार पत्र **''इण्डियन एक्सप्रेस''** में दिनांक 01.09.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 15.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेपित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र **''दैनिक नवज्योति''** एवं अंग्रेजी समाचार पत्र **''इण्डियन एक्सप्रेस''** में दिनांक 01.09.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 15.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र **''दैनिक नवज्योति''** एवं अंग्रेजी समाचार पत्र **''इण्डियन एक्सप्रेस''** में दिनांक 01.09.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति पट्टा नं0 6271, खसरा नम्बर 1094, ग्राम कामोलर, ग्राम पंचायत कामोलर, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा राजस्थान स्थित (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 834 वर्ग फुट) जो कि श्री पवन राठौड के नाम पर हैं, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत कमोलर द्वारा जारी किया गया है , जिसका पंजीयन उप पंजीयक सांगोद द्वारा 4.1.2017 को किया गया है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner